रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18042024-253753
SG-DL-E-18042024-253753

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 15, 2024/चैत्र 26, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 20
No. 124]	DELHI, MONDAY, APRIL 15, 2024/CHAITRA 26, 1946	[N. C. T. D. No. 20

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अप्रैल 2024

फा. सं. 50(04)/डीसी/स्था0/2023/SS1hfw/419—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 की अधिसूचना सं0 एस0ओ0 3532 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29.01.2001 की अधिसूचना सं0 फा0 53/143/94—एचएंडएफडब्ल्यू/4046 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान) के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (i) इन नियमों को औषधि नियंत्रण विभाग, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान) भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
   (ii) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :–उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे

4. **अयोग्यता** :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव** :– इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

औषधि नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान) के पद के भर्ती नियम

1.	**पदनाम**	:	**कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)**
2.	**पदों की संख्या**	:	02*(2024) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह 'ख',
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7 (44900–142400/–रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	आवश्यक योग्यताः लागू नहीं — अनुभव लागू नहीं **वांछित** योग्यताः लागू नहीं — अनुभव लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यताः लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	लागू नहीं
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पद्धति: पदोन्नति — प्रतिशत: 100

11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है**	:	**पदोन्नति :** वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान) ग्रेड में पांच वर्षों की नियमिति सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6 (35400–112400/–रुपये) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **मानक टीपः** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्तें कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति** 1. अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (गृह) – **अध्यक्ष** 2. विभाग का प्रशासनिक सचिव – **सदस्य** 3. विशेष/अपर सचिव (श0वि0) – **सदस्य**
13.	**वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अरविंद कुमार, उप–सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPTT

NOTIFICATION

Delhi, the 15 April, 2024

F. No. 50(4)/DC/Estt./2023/SS1hfw/419.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 3532 dated 24.09.1968 and in supersession of the Notification No. F.53/143/94-H&FW/4046 dated 29.01.2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Officer (Chemistry) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

1. **Short title and commencement-**

   (i) These rules may be called the Drugs Control Department, Junior Scientific Officer (Chemistry) Recruitment Rules, 2024

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, Classification and Pay Level in Pay Matrix-** The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.-**No person,

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; **or**
   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving-** Nothing in these rules, shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Junior Scientific Officer (Chemistry) in the Drugs Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Junior Scientific Officer (Chemistry)	02* (2024) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Non-Ministerial, Gazetted Group-'B'	7 Remark: Level 7 (Rs. 44900 – 142400)in the Pay Matrix	Selection Post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption & percentage of the posts to be filled by various methods	
7		8	9	10	
Essential		Age: NA Edu. Qua: NA	NA	Method	Percentage
Qualification: NA	Experience: NA			Promotion	100

Desirable					
Qualification: NA	Experience: NA				

In case of Recruitment by promotion/Deputation/ Absorption grades from which promotion/Deputation/ Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Senior Scientific Assistant (Chemistry) in level 6 (Rs. 35400 – 112400) in the pay matrix with 5 years regular service in the grade and having successfully completed 2 weeks training as prescribed by the Competent Authority **Standard Note:** Where Juniors who have completed qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service	**<u>Departmental Promotion Committee</u>** 1. Addl Chief Secretary (Home)/ Pr. Secretary (Home) (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department (Member) 3. Special/ Addl Secretary (UD) (Member)	Consultation with U.P.S.C. not necessary

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi
ARVIND KUMAR, Dy. Secy.

Uploaded by Dated of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.04.18 21:33:08 +05'30'